



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU – 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1269 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1269**

**विषय / Sub : ट्रान्सफार्मर रेक्टिफायर यूनिट (टीआरयू), पार्ट सं. 2261 00 000, इश्यू: 2**  
**Transformer Rectifier Unit (TRU), Part Number: 2261 00 000, Issue: 2**

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इन्फ्रामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीस प्रभाग, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " ट्रान्सफार्मर रेक्टिफायर यूनिट (टीआरयू)", पार्ट सं. 2261 00 000, इश्यू :2 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1269, दिनांक 28 मई 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1269 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1269/1आर, 21 जून 2012 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था और आगे संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/52 टीए/संशोधन-1, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा संशोधन किया गया।

*This is to state that the "Transformer Rectifier Unit (TRU)" bearing the Part No.: 2261 00 000 designed, developed and manufactured by Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1269 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1269, dated: 28<sup>th</sup> May 2007. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA – 1269 /1R, 21<sup>st</sup> June 2012 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2017 and further amended vide Ref. No. : CEMILAC/5070/52 TAs/Amd-1, dated: 28<sup>th</sup> June 2013.*

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1269 और उसके परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

*The following Amendment is effected in the subject Type Approval Number: 1269 and its Appendix 'A'.*

<i>Wherever / For</i>	<i>Read as</i>
<i>Part No.:2261 00 000, Issue: 2</i>	<i>Part No.:2261 00 000, Issue: 2B</i>



3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> July 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Lucknow - 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1269, दिनांक 28 मई 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1269, dated: 28<sup>th</sup> May 2007 is amended as stated herewith.*


“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1269/2R  
दिनांक / Date : 20 June 2017  
फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

  
20<sup>th</sup> June 2017

  
(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)